

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,
स्प्रिंग फील्ड्स, सैक्टर-10,
नया मुरादाबाद,
वि०क्ष०, मुरादाबाद।

पत्रांक: वै०सहा०/मान्यता/NUPS-521/18/2018-19 दिनांक: 07-01-2019

विषय: अशासकीय नर्सरी से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 लखनऊ दिनांक 08-05-13 के प्राविधानों के अर्न्तगत लिये गये निर्णय के अनुसार सम्बन्धित विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम कक्षा नर्सरी से कक्षा-8 तक की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की जाती हैं। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। उक्त मान्यता निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

1. कक्षा नर्सरी से 8 तक के शिक्षण के लिए उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
2. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. भारत के संविधान में प्रावधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्रावधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Self attested
Pratiksha Dumb
Principal
Springfields
Sec-10, New Moradabad
Moradabad.

Self-Attested
W. K.
Manager
Springfields
Sec-10, New Moradabad
Moradabad.

8. विद्यालय द्वारा रू 35000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जाएगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जाएगा।
9. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
10. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
11. मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत शिक्षा निःशुल्क न देने पर मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जाएगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
12. नर्सरी-प्राइमरी-जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
13. विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्न होना अपेक्षित है:-

- (क) नर्सरी-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल 275 (10 कक्षायें)
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/ एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाये। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाये और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0/वै0सहा0/मान्यता/ /2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
5. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

Self attested
Pratiksha Dimil

Principal
Springfields
Sec-10, New Moradabad
Moradabad.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
Self-Attested मुरादाबाद।

Manager
Springfields
Sec-10, New Moradabad
Moradabad.